रेडक्रॉस का प्रतीक चिन्ह

रेडक्रॉस का प्रतीक, जोकि स्विट्जरलेण्ड के राष्ट्रीय झण्डे का उल्टा है, 1863 के जेनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधियों द्वारा हेनरी ड्यूनांट के प्रस्ताव पर स्विट्जरलेण्ड की संघीय सरकार के प्रति सम्मान के रूप में स्वीकृत किया गया था। स्विट्जरलेण्ड की संघीय सरकार ने ड्यूनांट के इस विचार को विकसित करने में पहल की थी कि युद्ध में बीमार, घायल होने वाले सैनिको की समस्याओं पर ध्यान देने के लिये स्वयंसेवी संगठनों की रचना की जाये। यह विचार ही धीरे-धीरे फैलता गया और उसके अन्तर्गत मानव पीड़ा से मुक्ति दिलाने से सम्बन्धित संभव गतिविधि के प्राय: सभी क्षेत्र आ गये। इस तरह रेडक्रास आशा शांति और सेवा का वास्तविक प्रतीक बन गया है।

रेडक्रॉस चिन्ह का उपयोग -

केवल रेडक्रॉस एवं आर्मी मेडिकल कोर के चिकित्सक ही कर सकते हैं। रेडक्रॉस के अधिकारी, कर्मचारी, वालेंटियरएवं कार्यकर्ता इसका उपयोग केवल रेडक्रॉस के कार्यों के समय ही कर सकते हैं उपरोक्त के अतिरिक्त इसका प्रयोग सर्वथा अवांछनिय एवं दण्डनीय है।

जूनियर रेडक्रॉस ध्वज

ध्वज- साइज 3X4.5 फुट सफेद पृष्ठ भूमि पर लाल क्रास (लाल क्रास 5 वर्गाकार आकृतियों से मिलकर बना है। क्रास के सभी छोर वर्गाकार होने चाहिए।)

ध्वज पोल- 10 फीट साइन बोर्ड - 3X2 फुट सफेद पृष्ठ भूमि पर नीले अक्षरों में जूनियर रेडक्रॉस यूनिट पंजीयन क्रमांक विद्यालय का नाम तथा बीच में रेडक्रॉस का निशान

भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी

छत्तीसगढ़ राज्य शाखा, रायपुर

द्वारा अंगीकृत

यूथ रेडक्रॉस

नियमावली

- कार्यालय -
रेडक्रॉस भवन, प्रथम तल, कलेक्टोरेट परिसर, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष व फैक्स - 0771-4064351 से 54 एवं 4091982

भारतीय रेडक्रास सोसायटी

छत्तीसगढ राज्य शाखा,रायपुर

यूथ रेडक्रास नियमावली

रेडक्रास एक ऐच्छिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है, जो 1863 में हेनरी ड्यूनांट द्वारा युद्धभूमि पर जख्मी और पीड़ितों की सहायता प्रदान करने के लिये स्थापित किया गया था । रेडक्रास का मूलभूत सिद्धांत निम्नानुसार है :-

1.	मानवता	HUMANITY
2.	निष्पक्षता	IMPARTIALITY
3.	तटस्थता	NEUTRALITY
4.	स्वतंत्रता	INDEPENDENCE
5.	स्वयं प्रेरित सेवा	VOLUNTARY SERVICE
6.	एकता	UNITY
7.	सर्वव्यापकता	UNIVERSALITY

इसके पश्चात संगठन के उद्देश्य अधिक व्यापक बनाए गये जिसमें समस्त रूग्ण और पीडितों को युद्ध के समय या शांतिकाल में सहायता प्रदान करने का संकल्प किया गया। रेडक्रास के शांतिकाल के कार्य मुख्यत: निम्नलिखित हैं -

अ. शरीर एवं स्वास्थ्य की उन्नति.

ब. रोगों पर प्रतिबंध.

स. पीडितों की सहायता .

युवक रेडक्रास संगठन, मूल संगठन के समान ही युद्ध के परिणाम स्वरूप स्थापित हुआ। सन् 1913 में प्रथम विश्वयुद्ध जब प्रारंभ हुआ तब कनाडा के एक प्रदेश क्यूबेक की शाला के विद्यार्थियों ने सैनिकों के लिए बैन्डेजे तथा ड्रेसिंग्स और अन्य सुविधा के साधन बनाकर रेडक्रारा के कार्यों में सहयोग दिया। इस कल्पना ने जल्दी ही व्यापक स्वरूप धारण किया। सन् 1915 के आस पास कनाडा तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के युवकों ने उनके व्यक्तिगत व्यय में से पैसे बचाना शुरू किए । उन पैसों को एकत्रित कर उन्होंने लडने वाले सैनिकों के लिये

ड्रेसिंग्स तथा अन्य सुविधायें खरीदी । सन् 1919 में जब विभिन्न रेडक्रास संगठनों का मिलकर एक संघ स्थापित हुआ तब यूथ रेडक्रास को विभिन्न देशों में कार्यान्वित करने के लिये यूथ रेडक्रास ब्यूरो स्थापित किया गया ।

यूथ रेडक्रास का संगठन :-

यूथ रेडक्रास , इण्डियन रेडक्रास की एक शाखा है जिसका संबंध 18 वर्ष से 35 वर्ष तक आयु के विश्वविद्यालयों व्दारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के नियमित छात्र, छात्राएं और प्राध्यापक वर्ग से है। प्रत्येक महाविद्यालय में युवक रेडक्रास की युनिट की स्थापना करने के लिये प्रत्येक शिक्षार्थी,प्राध्यापक वर्ग का सक्रिय सहयोग आवश्यक है ।

यूथ रेडक्रास के संगठन का उद्देश्य युद्ध और शांतिकाल में मानवता की सेवा करना है 1 प्रत्येक युवक को इस अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बनकर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिये तभी वे ग्रामीणों और नगरीय क्षेत्रों के नागरिकों की सेवा भली-भांति कर सकते हैं।

जन स्वास्थ्य, गंदी बस्तियों की साफ-सफाई, रोगी कल्याण, आशक्त एवं असहायों की सेवा, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा प्रदूषण निवारण, प्राकृतिक आपदा तथा दुर्घटना आदि के कारण निर्मित आपातिक स्थितियों के तात्कालिक सहायता जैसे कार्य करना यूथ रेडक्रॉस के सदस्यों के कर्तव्य हैं। साथ ही मानव मूल्यों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मानवतावादी उत्तरदायित्वों की निर्वहन करते हुए विश्व मातृत्व की भावना को बढ़ाना भी यूथ रेडक्रॉस का एक महत्वपूर्ण कार्य हैं।

यूथ रेडक्रास यूनिट का संगठन :-

यूथ रेडक्रॉस युनिट की स्थापना सभी महाविद्यालयों में की जायेगी। कार्यक्रमों के संचालन एवं राज्य शाखा तथा जिला शाखा के साथ समन्वय हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता में एक कार्यसमिति का गठन किया जायेगा । इस समिति के सदस्यों का चयन प्राचार्य द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि

इसमें कम–से–कम तीन छात्रा प्रतिनिधि, प्राध्यापक, पी.टी.आई. पुस्तकालय प्रभारी सदस्य रहें। समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या 11 होगी।

प्राध्यापक वर्ग का कोई सदस्य इसका संगठक होगा।

जिलाध्यक्ष एवं मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेवा अधिकारी के परामर्श एवं मार्गदर्शन में जन स्वास्थ्य तथा सेवा के क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे।

यह समिति छात्रों के सर्वांगीण विकास, उनमें स्वप्रेरित सेवा भाव जागृत करने, रोगियों पीड़ितो, अशक्त तथा असहायों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने, कार्य शालाओं का आयोजन करने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व भ्रातृत्व की भावना जागृत करने हेतु कार्य योजना बनाकर कार्य करेगी।

महाविद्यालयीन स्तर पर इस समिति के कार्यो की छमाही समीक्षा, चेयरमेन राज्य शाखा द्वारा की जायेगी।

पंजीयन एवं सदस्यता :-

सभी यूथ रेडक्रॉस युनिटों को भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, छत्तीसगढ़ राज्य शाखा में पंजीयन कराना होगा। पंजीयन के लिए 250/– रू. शुल्क के साथ एक आवेदन पत्र राज्य शाखा में प्रस्तुत कर पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

यूथ रेडक्रॉस का वार्षिक सदस्यता शुल्क रू. ~~25~~ 40/– प्रति छात्र होगी।

सदस्यता शुल्क के रूप में प्राप्त राशि का 70 % महाविद्यालय द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक खाता खोलकर रखा जायेगा तथा कार्यसमिति के अनुमोदन से यूथ रेडक्रॉस की गतिविधियों पर व्यय किया जा सकेगा। आय–व्यय का वार्षिक लेखा भी निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट एक) में राज्य शाखा तथा जिलाशाखा को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तत्काल पश्चात् प्रस्तुत की जायेगी। सदस्यता शुल्क की 30% राशि सीधे राज्य शाखा को भेजी जायेगी। राज्य शाखा द्वारा इस प्रकार प्राप्त राशि में से 10% जिला शाखा को यूथ रेडक्रॉस की

गतिविधियों के संचालन तथा समन्वय पर व्यय की जायगी। राज्य शाखा के पास शेष जमा सदस्यता शुल्क की राशि में से 10% अर्थात प्राप्त राशि का 1/2 राष्ट्रीय मुख्यालय को भेजी जायगी ।

छत्तीसगढ युवक रेडक्रास के मुख्य कार्य :-

(1) प्राथमिक उपचार-

1. प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य विज्ञान पर कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रमआयोजित करना।
2. प्राथमिक उपचार कीट का प्रबंध करना,जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाई जा सके।
3. Disaster Preparedness तथा Response प्रशिक्षण।

(2) रक्तदान --

1. स्वेच्छा से रक्तदान करना और रक्तदान के लिये नागरिकों को प्रेरित करना.

(3) नेत्रदान --

1. अंधत्व की रोकथाम हेतु आयोजन शिविरों में भाग लेना।
2. नेत्रदान बाबत प्रचार-प्रसार कर जन-जागरूकता पैदा करना.

(4) HIV/AIDS की रोकथाम हेतु कार्य करना

(5) पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा प्रदूषण निवारण के लिये कार्यकरना। उपयुर्क्त सभी विशेष कार्य विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से संपन्न होंगे। इसकी पूर्ण जानकारी समय-समय पर राज्य शाखा / जिला शाखा द्वारा दी जायगी।

युवक रेडक्रास के अन्य कार्य -

1. तैरना तथा जीवनरक्षा के उपाय सीखने के लियेविद्यार्थियों तथा युवकों को प्रोत्साहित करना .
2. सहकारी पद्धति से स्टेशनरी पुस्तक भंडार चलाना और उसमें जो लाभ हो उससे गरीब विद्यार्थियों को सहायता देना .

परिशिष्ट– ए

भारतीय रेडक्रास सोसायटी, छत्तीसगढ़

राज्य शाखा रायपुर

यूथ रेडक्रास सोसायटी के वार्षिक

आय–व्यय पत्रक का प्रारूप

महाविद्यालय का नाम ....

सन् ....

क्र. आय का विवरण	रू.पै	व्यय का विवरण	रू.पै.
1. गतसत्र 200.... का बचत		1. लेखन सामग्री	
		2. महाविद्यालय के यूथ रेडक्रास के युनिट कार्यालय के रखरखाव एवं डाक व्यय	
2. यूथ रेडक्रास शुल्क राशि			
3. बैंक बचत खाते पर प्राप्त		3. यूथ रेडक्रस साहित्य एवं राशि सामग्री पर यय	
4. अन्य श्रोतों से आय		4. यूथ रेडक्रास पंजीयन/नवीनीकरण पर व्यय	
5. 1– महाविद्यालय के अभिभावकों द्वाराअनुदान		5. प्रशिक्षण कार्य पर व्यय	
		6. अन्तर्राज्यीय यूथ रेडक्रास प्रशिक्षण / अध्ययन पर व्यय	
2– महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों द्वारा अनुदान		1. यूथ एवं काउंसलर्स के प्रशिक्षण एवं सम्मेलनों पर व्यय	
3– यूथ रेडक्रास साहित्य सामग्री की विक्रय राशि से आय		2. प्रमाण–पत्रों एवं हैन्ड बिल्स की छपाई पर व्यय	
		3. महाविद्यालयों के समारोहों पर यूथ रेडक्रास से संबंधित पारितोषिक पर व्यय	
		7. स्वास्थ्य संबंधी योजना :–	
		1. स्वास्थ्य परीक्षण	
		2. रक्त परीक्षण/रक्तदान	
		3. स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था	

7.	एक शासकीय कन्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रतिनिधि	–	सदस्य
8.	एक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रतिनिधि	–	सदस्य
9.	एक स्नातक महाविद्यालय के प्राचार्य	–	सदस्य
10.	एक स्नातक कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य	–	सदस्य
11.	महामहिम द्वारा मनोनीत राज्य के एक प्रख्यात समाज सेवी	–	सदस्य
12.	प्रमुख गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्था का एक प्रतिनिधि	–	सदस्य
13.	सचिव, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, छत्तीसगढ़ राज्य शाखा	–	सदस्य/सचिव

यूथ रेडक्रॉस की राज्य स्तरीय शीर्ष समिति यूथ रेडक्रॉस की गतिविधियों के निर्धारण तथा संचालन के साथ ही महाविद्यालयीन स्तर पर किए गए कार्यों की समीक्षा कर सकेगी तथा दूसरे आधार पर इन्हें पुरष्कृत किए जाने का निर्णय भी ले सकेगी।

3. मलेरिया, चेचक, हैजा, प्लेग, मोतीझरा आदि रोगों के आक्रमण के बारे में स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं तथा अधिकारियों को सूचना देना और सेवा कार्य करना .
4. छात्र भोजनालयों तथा केंटीन की व्यवस्था करना .
5. प्राकृतिकविपत्तियों जैसे– बाढ,अकाल,आग, भूकम्प आदि के निवारण में सहयोग देना.
6. आदर्श ग्राम, आदर्श घर,आदर्श कुओं आदि का महत्व ग्रामिणों को समझाना।
7. कुओं को किटाणु रहित करना।
8. चूहों, मक्खियों, मच्छरों को समाप्त करने में सहयोग देना।
9. अस्पतालों में सेवा कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त करना।
10. अर्न्तमहाविद्यालयीन सम्पर्क स्थापित करना।
11. स्वयं सेवक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना।
12. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव सेवी संस्थाओं से संपर्क एवं समन्वय।
13. महत्वपूर्ण दिवसों पर कार्यक्रमों का आयोजन, फंडरेजिंग।

छत्तीसगढ़ स्तर पर यूथ रेडक्रॉस संगठन :–

यूथ रेडक्रॉस की समस्त गतिविधियों का संचालन तथा मार्गदर्शन राज्य स्तर पर गठित 3 छत्तीसगढ़ यूथ रेडक्रॉस समिति 4 द्वारा की जायगी जिसके संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ तथा अध्यक्ष माननीय शिक्षा मंत्री होंगे।

1. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़	–	मुख्य संरक्षक
2. शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़	–	अध्यक्ष
3. चेयरमेन,प्रबंध समिति, भारतीय रेडक्रास सोसायटी, छत्तीसगढ राज्य शाखा, रायपुर	–	उपाध्यक्ष
4. महामहिम राज्यपाल द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय के कुलपति	–	सदस्य
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ	–	सदस्य
6. एन.सी.सी. के राज्य स्तरीय अधिकारी	–	सदस्य

1. गणवेश पर व्यय

14. महत्वपूर्ण दिवसों पर समारोहों काआयोजन

1. रेडक्रास दिवस, 8 मई।
2. विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल।
3. विश्व विकलांग दिवस 15 मार्च।
4. अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 08 मार्च।
5. जिनेवा कन्वेंशन डे 12 अगस्त को फंड रेजिंग डे के रूप में मनाना।
6. विश्व पर्यावरण दिवस, 05 जून आदि
7. स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, 1 अक्टूबर
8. विश्व एड्स दिवस, 1 दिसंबर।

सचिव

भारतीय रेडक्रास सोसायटी,

छ. ग. राज्य शाखा, रायपुर

4. रोगी छात्र/छात्राओं का

अस्पताल में दूध, फल, किताबों, खिलौनों आदि के रूप में सहायतापर व्यय

5. फर्स्ट ऐड बाक्स, दवाईयां, पट्टियां, वजन तौलने के उपकरणो आदि पर व्यय

6. मक्खी और मच्छरों के विनाश के लिये डी.डी.टी. फिनाइल एवं अन्य कीटाणु नाशक दवाईयों के छिडकाव पर व्यय

7. अकाल, बाढ़, अग्निप्रकोप, भूचाल आदि से पीड़ित छात्रों को मदद

8. छात्र-कल्याण संबंधी योजनायें:-
   1. अपाहिज एवं अपंग छात्र की सहायता
   2. निर्धन छात्रों के लिये अध्ययन सामग्री कपड़े आदि की व्यवस्था पर व्यय

9. समाज सेवा योजनायें :-
   1. प्रौढ़ शिक्षा
   2. महाविद्यालय परिसर में उद्यान बनाना एवं वृक्षारोपण.
   3. नेत्र शिविर
   4. मेलों या खेलकूद समारोहों में शिविर लगाना
   5. दैविक या मानवीय दुर्घटना से पीड़ितों की सेवा
   6. पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन एवं प्रदूषण नियंत्रण करना

10. खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

11. शैक्षणिक भ्रमण एवं पर्यटन

12. खेलकुद, टुर्नामेंट का आयोजन.

13. अलबम एवं पत्र पत्रिकाओं पर व्यय

कार्यालय – संचालक,

उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 3239/संउशि/सम./2003 रायपुर, दिनांक : 10/07/2003

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
अग्रणी शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :– जूनियर रेडक्रॉस सोसायटी एवं युवक रेडक्रॉस सोसायटी की सदस्यता बाबत्।

सन्दर्भ :– डॉ. एस. सी. मजूमदार, अध्यक्ष, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, छत्तीसगढ़ राज्य शाखा का पत्र दिनांक 07.07.2003।

डॉ. एस. सी. मजूमदार, अध्यक्ष, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, छत्तीसगढ़ राज्य शाखा, रायपुर के पत्र क्रमांक सीजीएस/बी/आईआरसीएस/2003/533 दिनांक 07 जुलाई, 2003 की छायाप्रति संलग्न भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्त पत्र में दिनांक चाहे अनुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने जिले के अधीनस्थ शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को पत्र भेजें एवं इस कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार !

हस्ता.
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक 3240/संउशि/सम./2003 रायपुर, दिनांक : 10/07/2003

प्रतिलिपि :–

1.अवर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 3111/3013/2003/38, दिनांक 08 जुलाई, 2003 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।

2. अध्यक्ष, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, छत्तीसगढ़ राज्य शाखा, रायपुर की ओर उनके पत्र दिनांक 07/07/2003 के संदर्भ में सूचनार्थ।

हस्ता.
अपर संचालक

Dear Dr. Chakravarty,

This is about the enrolment of College students as members of Youth Red Cross. I have talked to you over telephone on this today. I have written a Note Sheet to Hon. Education Minister about 3-4 days ago. A copy is enclosed.

2. I had a talk to the Minister to-day over phone. He might have marked this to Secretary, Higher Education who is on tour to Delhi.

3. Admissions in colleges have started now. The Principals of Colleges want a CIRCULAR LETTER to be written to them by Commissioner, Higher Education. One Dr. B. K. Garg, a teacher in Government Post Graduate College, Ambikapur, looks after the works on Junior Red Cross and Youth Red Cross in schools and colleges respectively. This is the most appropriate time to get the new entrants in colleges to get enrolled as members of Youth Red Cross in the State. The matter is bit urgent since Hon. Chief Minister, our Senior Vice President has fixed a target to get the school and college students under the umbrella of Junior and Youth Red Cross respectively. The directions were given on 13th May 2002 by the Chief Minister in the Annual General Meeting held at Raj Bhavan under the Chairmanship of H.E. the Governor, our President.

4. I would be obliged if you could look into the matter and get a CIRCULAR LETTER issued by Commissioner Higher Education to the Principals of Colleges in the State.

Encl. : One Note Sheet.

Yours Sincerely,

Dr. K. K. Chakravarty,
Additional Chief Secretary,
Government of Chhattisgarh,
Education Dept.
Mantralaya, Raipur (C.G.).

Sign.

(Dr. S. C. Mazumder)
Chairman
Indian Red Cross Society,
Chhattisgarh State Branch-Raipur

छत्तीसगढ़ शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक 1070/स.उ.शि./रे.क्रा./2006 रायपुर, दिनांक 4/7/2006

प्रति,

प्रचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :- महाविद्यालय में रेडक्रॉस गठन संबंधि।

प्रदेश के प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय में यूथ रेडक्रॉस का गठन किया जाना है। यदि आपके महाविद्यालय में अब तक यूथ रेडक्रॉस का गठन नहीं किया गया है तोइस पत्र के साथ संलग्न ''पंजीयन हेतु आवेदन पत्र'' का प्रारुप भरकर 15 दिवस के अन्दर सचिव, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, छत्तीसगढ़ राज्य शाखा, कलेक्ट्रेट परिसर, रायपुर को निर्धारित शुल्क का ड्राफ्ट सहित आवेदन करें।

इस कार्य को समयावधि में पूर्ण करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(के.डी.पी. राव)
सचिव,
उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन

पृ. क्रमांक 1071/स.उ.शि./रे.क्रा./2006 रायपुर, दिनांक 4/7/2006

प्रतिलिपि : –

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. निज सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. चेयरमेन, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, छत्तीसगढ़ राज्यशाखा, रायपुर।

.... की ओर सुचनार्थ।

सचिव,
उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन

कार्यालय प्राचार्य,
गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय,भाटापारा
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा पिन–493118

College Code 1210

Phone No-07726-299484 Email-principalgovtlawcollege@gmail.com

// वायआरसी उप समिति सूची //

स.क.	नाम	पदनाम
01.	डॉ.ए.एल.ध्रुवंशी	प्र. प्राचार्य (अध्यक्ष)
02.	डॉ.रीता दीवान	ग्रंथालय प्रभारी
03.	श्री दिलीप कुमार सोनी	वायआरसी प्रभारी
04.	श्री ललित कुमार	सहायक प्राध्यापक
05.	कु. सुजल सोनी	सदस्य
06.	कु. रिया कुर्रे	सदस्य
07.	कु. लया पाठक	सदस्य

PRINCIPAL
Govind Sarang Govt. Law College Bhatapara
Dist. Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य,
गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय,भाटापारा
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा पिन–493118

College Code 1210

Phone No-07726-299484 Email-principalgovtlawcollege@gmail.com

क्रमांक / 46 / रेडकास / 2023 भाटापारा,दिनांक: 06 / 05 / 2023

प्रति,

जनरल सेकेटरी,
भारतीय रेडकॉस सोसायटी
छत्तीसगढ़ राज्य शाखा, रायपुर

विषय :– वाय.आर.सी पंजीयन / नवीनीकरण – अंशदान बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि हम अपनी महाविद्यालय में यूथ रेडकॉस पंजीयन / नवीनीकरण कर विधिवत गठन करना चाहते हैं। जानकारी निम्नानुसार है :–

1. महाविद्यालय का नाम गोविंद सारंग शास० विधि महाविद्यालय भाटापारा (छ.ग.)
2. प्राचार्य का नाम डॉ. [illegible]
3. दूरभाष / मो.कं. 9907998484
4. वाय.आर.सी काउंसलर का नाम दिलीप कुमार सोनी मो.नं. 7999507015
5. वर्ष 2022–23 में दर्ज विद्यार्थी संख्या 232 छात्र 117 छात्रा 115
6. वर्ष 2022–23 में संग्रहित राशि 5800.00
7. पंजीयन / नवीनीकरण शुल्क 250.00
8. 20 प्रतिशत राज्य अंशदान 1160.00
9. 10 प्रतिशत जिला अंशदान 580.00
10. वाय.आर.सी. पंजीयन कं. ...
11. चेक / डी.डी.कं. 419527 दिनांक 26/04/23 बैंक S.B.I. राशि 1990.00
12. वाय.आर.सी. सामग्री उपलब्ध है ... नहीं है ...
13. वर्ष 2022-23 में वाय.आर.सी. मद में कुल उपलब्ध राशि [illegible]
14. वाय.आर.सी. मद में कुल उपलब्ध राशि ...

कृपया पावती रसीद / प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न :– वायआरसी उप समिति सूची, शुल्क जगा विवरण, दल सदस्य सूची एवं अन्य।

भवदीय

PRINCIPAL
Govind Sarang Govt. Law College Bhatapara
Dist. Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)

प्रतिलिपि :–
आवश्यकतानुसार।

PRINCIPAL
Govind Sarang Govt. Law College Bhatapara
Dist. Baloda Bazar-Bhatapara (C.G.)